

कार्यालय जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

--0 आदेश 0--

क्रमांक/18158/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2017-18

कांकेर,

दिनांक 16/03/2018

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय 36 सी. ब्लाक - 2द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा./ शिक्षा/ 2017/287 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंचाविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन पश्चात प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण के आधार पर तैयार मेरिट सूची अनुसार छानबीन समिति की अनुसंशा एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रक्रिया अनुसार अंतिम चयन सूची जारी कर नियुक्ति आदेश जारी किया गया। जारी नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने एवं सेवा से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुये पदों पर प्रतिक्षा सूची से समान प्रवर्ग से व्याख्याता (पंचायत) के पद पर काऊंसलिंग दिनांक 16.03.2018 के अनुसार कॉलम नम्बर 09 में उल्लेखित प्रवर्ग से कॉलम नम्बर 05 में अंकित विषय के लिये कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विद्यालय तथा कॉलम नम्बर 07 में अंकित विभाग के अन्तर्गत प्रतिमाह वेतनमान 5300-150-8300 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्तों जो देय हो, अधोअंकित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	लिंग (म./पु.)	वर्ग जाति	विषय	पदस्थापना शाला का नाम	विभाग	बी.एड.	आरक्षण प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनारक्षित								
1	गीतिका / श्री राजेश कुमार	म.	अपिव	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि. कोदागोव वि. ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अनारक्षित म
अ.ज.जा.								
1	प्रीति पैकरा / श्री हरनाथ सिंह पैकरा	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि. डुमाली वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
2	किरण कोरेटी / श्री हरीश चंद्र	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि. शाहवाड़ा वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
3	संध्या जुरी / श्री आत्मा राम जुरी	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि. कोडेकुसे वि.ख. दुर्गुकौदल	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
4	अनिता ध्रुव / श्री भाग्यवान ध्रुव	म.	अजजा.	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि. मुरडोंगरी वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजजा
5	अजय कुमार दुग्गा / श्री राजुराम	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि. हांकेर वि. ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.नहीं	अजजा
6	रघुमेन्द्र नेताम / श्री सखा राम नेताम	पु.	अजजा.	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि. बारदा वि.ख. कोयलीबेड़ा	शिक्षा विभाग	बी.एड.नहीं	अजजा

163-18

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की जाति एवं प्रवर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अजा/ अजजा/ पिवर्ग/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संबंधित संस्था एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
2. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 29 में मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं माना जावेगा।
3. संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा अन्य जानकारी गलत पाये जाने पर बिना सूचना के उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
4. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) यथा स्थिति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन नियम 10 के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे।
5. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना होगा। किन्तु किसी भी स्थिति में पदांकित शाला के विरुद्ध परिवर्तन एवं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
6. व्याख्याता (पंचायत) के कार्य एवं आचरण का आकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उनके कार्य/आचरण का आकलन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि की समय सीमा 05 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। फिर भी संबंधित की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
7. नियुक्ति व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता पंचायत से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। यदि पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर संबंधित व्याख्याता (पंचायत) की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा ऐसे व्याख्याता (पंचायत) के द्वारा प्राप्त वेतन भत्ते की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जावेगी।
9. व्याख्याता (पंचायत) की ऊपर वर्णित सेवा शर्तों से भिन्न की शर्तें यथा स्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों के समान ही होगी।
10. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के संबंध में यदि यह जानकारी प्रमाणित होती है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 एवं विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी सेवा बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
11. नियुक्त व्याख्याता (पंचा.) जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षाकर्मी की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर द्वारा जारी भर्ती नियम 2012 की कंडिका 05 के प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण उसी प्रवर्ग के वरियता क्रम से उम्मीदवार चयनित किये गये हैं।
13. चयनित दिव्यांग उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड कांकेर से 01 माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।

16-3-18

14. नियमानुसार नियुक्ति हेतु जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

15. स्नातक स्तर पर एक विषय बाटनी या जुलोजी विषय के रूप में अध्ययन किया हुआ होना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में अपात्र माना जावेगा एवं सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

16. इस नियुक्ति आदेश के सरल क्रमांक अ.ज.जा. के सरल क्रमांक 05 से 06 तक के चयनित व्याख्याता (पंचायत) को नियुक्ति आदेश दिनांक से तीन वर्ष के भीतर बी.एड.उपाधि प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अथवा छ.ग.शिक्षक पंचायत सर्वग भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2012 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उम्मीदवार को दिनांक 31.03.2018 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
अभ्यावधि के पश्चात उपस्थिति मान्य नहीं होगी तथा स्वमेव नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/18159/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2017-18 कांकेर,

दिनांक 16/03/2018

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, पंचायत, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
8. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त छ.ग. छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
12. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
13. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
15. जिला सेनानी, सैनिक कल्याण बोर्ड जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
16. आयुक्त दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़, जिला पंचायत परिसर, दूर्ग छ0ग0
17. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
18. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आनलाईन अपलोड करने हेतु।
19. जिला जनसंपर्क अधिकारी, को सूचनार्थ। कृपया समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु।
20. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोदल/भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीवेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21. सर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास खण्ड कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गकोंदल/ भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीवेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।
22. प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूलजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा संस्था में शिक्षा पंचायत संवर्ग के भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी संबंधित विभाग/जिला प्रमुख एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।
23. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के पश्चात् पदांकित शाला में उपस्थिति देंगे ।
24. गार्ड फाईल (कार्यालयीन स्थापना शाखा) जिला पंचायत कांकेर ।
25. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

21/163/18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)